गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) वर्तमान में राजभाषा विभाग में बड़े पैमाने पर हुए वित्तीय घपले का कोई मामला सामने नहीं आया है।

अयोध्या के आसपास अधिग्रहीत भूमि

1574. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आयोध्या में विवादित स्थल के आस-पास कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित व्यक्तियों को मुआवजा देने को आधार बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और कब तक इस मुआवजे का भुगतान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :(क) केन्द्र सरकार द्वारा "अयोध्या में कतिपय भूमि अर्जन अधिनियम, 1993" के अधीन विवादित भूमि समेत अधिग्रहीत की गई कुल भूमि का क्षेत्रफल 112 बीघा, 02 बिस्वा. 13 बिस्वांसी है।

(ख) से (घ) अयोध्या में कतिपय भूमि अर्जन अधिनियम, 1993 की धारा 8 में उन भू-स्वामियों, जिनकी भूमि, इमारत, ढांचे अथवा अन्य सम्पत्ति इत्यादि केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई थी, के दावों का निर्णय करने तथा उन्हें मुआवजे का भुगतान करने के लिए दावा आयुक्त की नियुक्ति करने का प्रावधान है। दावा आयुक्त ने पहले ही 68 मामलों में निर्णय ले लिया है तथा कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद इन मामलों में भुगतान किए जा रहे हैं। शेष मामले प्रौसेस करने के बाद दावा आयुक्त द्वारा उन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली में अपराध

1575. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में जनवरी, से 31 मई, 1998 के दौरान हत्या, लूट और बलात्कार करने के बाद हत्याओं की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) उपरोक्त घटनाओं में से पुलिस थानों के आसपास तथा दिन-दहाड़े, कितनी हत्याएं हुई; और

(ग) हत्याओं और अन्य अपराधों के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनके लिए कितनों को सजा दी गई?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित स्थिति सूचित की है:—

शीर्ष	1.1.1998 से 31.5.1998 तक की अवधि के दौरान सूचित किए गए मामलों की संख्या
हत्या	268
लूटपाट	272
बलात्कार के बाद हत्या	1

प्रश्नाधीन अवधि के दौरान, पुलिस स्टेशनों के नजदीक दो हत्याएं की गईं और 32 हत्याऐं दिन दहाड़े हुई।

ऊपर उल्लिखित मामलों में कुल मिलाकर 628 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

इनमें से 144 का चालान किया गया और उन पर न्यायालयों में मुकद्मा चल रहा है।

वैधानिक विकास बोर्डों के लिए राज्यों को स्वीकृतियां

1576. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें वैधानिक विकास बोर्डों के गठन के लिए सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है;

(ख) किन-किन राज्य सरकारों के वैधानिक विकास बोर्डों की स्थापना के प्रस्ताव सरकार के पास लंबित और विचाराधीन है;

(ग) संबंधित राज्य सरकारों को कितने प्रस्तावों को वापिस लौटाया जा चुका है; और

(घ) वैधानिक विकास बोर्डों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और क्या ये बोर्ड सीधे सरकार के नियंत्रणाधीन है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(2) में दो राज्यों, नामतः महाराष्ट्र और गुजरात में विकास बोर्डों की स्थापना किए जाने की व्यवस्था है। महाराष्ट्र में विकास बोर्डों का गठन किया जा चुका है। गुजरात राज्य सरकार से कच्छ के लिए विकास बोर्ड स्थापित करने का सुझाव प्राप्त हुआ है। इस पर विचार किया जा रहा है।

विकास बोर्ड के संबंध में राज्यपालों की विशेष जिम्मेवारी है। ये विशेष जिम्मेवारियां (I) समग्र राज्य की